(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भूरा/17/2482 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-5-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर जिला बैतूल, प्रकरण क्रमांक 12/अपील/16-17

1-श्रीमती रानि मंडल बेवा खगेन
2-शशि मंडल वल्द खगेन
3-विश्वजीत मण्डल वल्द खगेन
4-मोहन मण्डल वल्द खगेन
चारो निवासी नारायणपुर तहसील घोड़ाडोगंरी
जिला बैतूल

..................आवेदकगण

विरूद्ध

1-निरापद मण्डल वल्द किर्तिवास
निवासी गांधीग्राम तहसील घोड़ाडोंगरी
जिला बैतूल
2-विद्या मण्डल पुत्री किर्तिवास
निवासी धरमपुर तहसील घोड़ाडोंगरी
जिला बैतूल

..................अनावेदकगण

श्री रविशंकर बुच , अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0पी0यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-5-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्रामसभा नारायणपुर ग्राम पंचायत आमढोह विकासखण्ड घोडाडोंगरी जिला बैतूल के प्रस्ताव क्रमांक 6 दिनांक 27-1-2012 के अनुसरण में पारित नामान्तरण क्रमांक 5 दिनांक 5-2-2012 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय बाह्य प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6-5-17 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक ने नामान्तरण क्रमांक 5 में पारित आदेश दिनांक 5-2-12 के विरूद्ध जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भी अतिविलम्ब से 5 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील के तथ्यों में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिये अनावेदक के द्वारा कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयावधि में मान्य करने में त्रुटि की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष असत्य आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य थी परन्तु अनुविभागीय अधिकारी अपील समयावधि में मान्य करने में भूल की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा बटवारे का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया था इस कारण धारा 5 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि यदि कोई आदेश विधि विरूद्ध एवं अधिकारिता रहित हो तब उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है जिसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं है इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि किर्तिवास के निधन के उपरांत उसके समस्त वारिसों का नाम उसके द्वारा छोड़ी गई भूमि पर उत्तराधिकार क्रय में दर्ज हो गया था और जो लागातार दर्ज चला आ रहा था तब पश्चातवर्ती स्थिति में जब किर्तिवास की पत्नि बेलफूल एवं पुत्र खगेन का निधन हुआ तब उनका नाम काटने के साथ साथ अनावेदक का नाम क्यों काटा गया इस प्रश्न का कोई उत्तर अथवा कारण उक्त प्रश्नाधीन पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 9 में नहीं है और न ही संशोधन क्रमांक 3 में है । उक्त प्रस्ताव पारित करने एवं संशोधन क्रमांक 3 दर्ज करने के समय

अनावेदक को कभी भी किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अथवा प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा नामान्तरण नियमों का पालन नहीं किया गया । अत: उक्त प्रस्ताव व संशोधन को पारित करने में त्रुटि की गई है जिसे चुनौती देने में समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि धारा5के प्रावधान अनुसार किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिये है न कि गैर कानूनी कृत्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये है और विधि का यह भी सिद्धांत है कि तकनीकी आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय से बंचित नहीं किया जाना चाहिये इस प्रकरण में अनावेदक का नाम काटकर उसे न्याय से वंचित किया गया है लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त विधि विरूद्ध कृत्य को देखते हुये अनावेदक को न्याय दिलाने की मनसा से उसका विलम्ब माफ किया गया है जो पूर्णत: विधिनुकूल है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक पक्ष का नाम अवैधानिक तरीके से पंजी पर नामान्तरण/बटवारे के समय हटाये गये हैं, अत: अपील में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष परीक्षण आवश्यक है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-5-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर